

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-1
संख्या-7/2015/1383/37-1-2015-9(52)/2014
लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2015

कार्यालय-आदेश

डा० हरदेव सिंह यादव, संयुक्त निदेशक, ३०प्र० पशु चिकित्सा परिषद, लखनऊ को एतद्वारा अपने कार्य के साथ-साथ रजिस्ट्रार, ३०प्र० पशु चिकित्सा परिषद का अतिरिक्त प्रभार अग्रिम आदेशों तक प्रदान किया जाता है।

- 2- उक्त कार्य हेतु डा० हरदेव सिंह यादव को कोई अतिरिक्त वेतन/ विशेष वेतन/दैत कार्यभार भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
- 3- संबंधित अधिकारी आदेशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करें।

रजनीश गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या-7/2015/1383(1)/37-1-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, पशुपालन विभाग, ३०प्र० लखनऊ ।
- 2- संयुक्त निदेशक(प्रशासन), पशुपालन विभाग, ३०प्र० लखनऊ ।
- 3- संबंधित अधिकारी, द्वारा- निदेशक, पशुपालन विभाग, ३०प्र० लखनऊ ।
- 4- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
(सुनील कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadेश.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।